उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
(A Govt. Of Uttarakhand Undertaking)
CIN : U40109UR2001SGC025867
Email id : fundsectionhq@upcl.org Website : www.upcl.org

पत्रांकः 661 **/उ0पा0का0लि0/म0प्र0(वि0)/परि0, वाणि0 एवं जानपद/** **दिनांकः** 05.09.2026

विषय : मैनपावर से सम्बन्धित अनुबंधों के सापेक्ष देयकों का ससमय भुगतान के सम्बन्ध में ।

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक 660/उपाकालि/म0प्र0(वि0)/परि0, वाणि0 एवं जानपद/ दिनांक 05.09.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

इस सम्बन्ध में आपसे कहना है कि मैनपावर के अनुबंधों के सापेक्ष वाहय सेवा प्रदाताओं/ठेकेदारों के माह 08/2026 की मांग की धनराशि निर्गत कर दी गई है तथा माह 07/2026 अथवा पूर्व के समस्त लम्बित देयकों की मांग विलम्बतम दिनांक 20.09.2026 तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि उक्त तिथि तक सभी लम्बित देयकों की मांग प्राप्त नहीं होती हे तो मैनपावर के भुगतान में विलम्ब के लिए सम्बन्धित अधिकारी/कार्मिक जिम्मेदार होंगे। अग्रेत्तर आपसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि उक्त मद में मुख्यालय से निर्गत निधि के सापेक्ष देयकों का तत्काल कार्यदायी संस्थाओं को भुगतान करना सुनिश्चित करें। कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अनुबंधों के सापेक्ष समस्त वैधानिक दायित्वों का समय से भुगतान किया जा रहा है यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है इसके लिए सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारियों का दायित्व होगा कि मैनपावर के अनुबंधों के सापेक्ष समस्त वैधानिक औपचारिकताओं का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे तद्नुसार निधि मांग उच्चाधिकारियों को प्रेषित करेंगे।

उक्त क्रम में निम्नलिखित बिन्दुओं का संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

1. अनुबन्ध/प्राक्कलन में निहित संख्या के अनुरूप ही कार्यदारी संस्थाओं द्वारा कार्मिक कार्योजित किए जाए तद्नुसार ही वेतन भुगतान किया जाए।
2. कार्यदायी संस्थाओं को देयकों/बीजकों के भुगतान करने से पूर्व कार्योजित कार्मिकों की उपस्थिति पंजिका, कार्यदायी संस्था के बीजकों/इनवॉइस के अनुसार कर्मियों की संस्था, कार्योजित कामिकों की वेतन धनराशि, ई0पी0एफ0ओं की वैबसाईट (www.epfindia.com) से सृजित, ई0सी0आर0 (Electronic Challan Cum Return) का परस्पर मिलान किया जाए, यदि कोई भिन्नता/त्रुटि पायी जाती है, तो उसके सम्बन्ध में यथोचित कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जाए।
3. कार्यदायी संस्थाओं के कार्मिकों को वेतन भुगतान शत–प्रतिशत बैंक के माध्यम से करने के साथ–साथ यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कर्मियों के वेतन से समस्त कटौतियां नियमानुसार की जा रही है।

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
(A Govt. Of Uttarakhand Undertaking)
CIN : U40109UR2001SGC025867
Email id : fundsectionhq@upcl.org Website : www.upcl.org

4. कार्यदायी संस्थाए, कार्योजित कार्मिकों को वेतन स्लिप (कार्यदायी संस्था के मोहर के साथ) निर्गत करायेंगे जिससे कार्मिकों को अपने वेतन एवं कटौतियों की पूर्ण जानकारी मिल सके।
5. किसी भी दशा में वास्तविक सं0 से इतर भुगातन किये जाने पर वित्तीय नियमों का संज्ञान लेते हुए कार्यवाही की जाएगी।
6. सम्मानित उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए कार्यालयों/उपस्थानों के परिसरों में सुरक्षित स्थान पर कार्योजित कार्मिकों का विवरण (फोटो, नाम, पिता का नाम, पता एवं मोबाईल सं0) सार्वजनिक करें।
7. कोई भी कार्मिक एक से अधिक अनुबन्ध के सापेक्ष तैनात न किया जाए, यदि ऐसा पाया जाता है तो सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे।
8. कार्योजित कार्मिकों को कम वेतन अथवा समय से वेतन भुगतान न होने की शिकायत पाये जाने पर तत्काल सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे।

(कमल शर्मा)
निदेशक (वित्त)

पत्रांकः /उ0पा0का0लि0/म0प्र0(वि0)/परि0, वाणि0 एवं जानपद/ दिनांकः .09.2026

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।
1. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), उपाकालि।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता (वितरण)/अधीक्षण अभियन्ता (मु0), उपाकालि।
3. समस्त उपमहाप्रबन्धक/उपमुख्य लेखाधिकारी, क्षे0ले0का0, उपाकालि।

(कमल शर्मा)
निदेशक (वित्त)